उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

tSfod mRiknu gsrq jk"Vªh; ekudks ¼,u-ih-vks-ih- vuqHkkx&3]vuqPNsn&1½ ij vk/kkfjr laf[;k dk vkrfjd ekud

fVIi.kh ¼& tSfod mRiknu gsrq jk"Vªh; ekudks dh foLrr tkudkjh ds fy, d`i;k l'kkf/kr ,u-ih-vks-ih- vuqHkkx&3]vuqPNsn&1 dk v/;;u djsA ;g nLrkost Þ,fiMkß ubZ fnYyh ds ocs lkbV **www.apeda.gov.in** ij miyC/k gSA

1-Qly mRiknu ;kstuk **[Crop Production Plan]**/tSfod izcU/ku ;kstuk **[Organic Management/System Plan]**

2-:ikarj.k vko';drk,sa **[Conversion Requirements]**

3--:ikarj.k dh vof/k **[Duration of Conversion Period]**

4-ikdfrd n`'; **[Land Scape]**

5-Qlyks rFkk fdLeks dk p;u **[Choice of Crops and Varieties]**

6-Qly mRiknu esa fofo/krk ,oa izcU/ku esa fofo/krk **[Diversity in crop production and Management Plan]**

7-iks"k.k izcU/ku **[Nutrient Management]**

8-dhV]jksx rFkk [kjirokj izcU/ku **[Pest, Disease and Weed Management]**

9-lanw"k.k fu;a=.k **[Contamination Control]**

10-enk ,oa ty lja{k.k **[Soil and Water Conservation]**

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

11-ouLifr ey dh u ckbl xbl lkexh dk lxg.k [Collection of Non Cultivated material of Plant Origin/ Forest Produces]

1-Qly mRiknu ;kstuk [Crop Production Plan]/ tfod ic/ku ;kstuk [Organic Management/System Plan:-

राष्ट्रीय जैव उत्पादन मानकों के अनुसार जैविक प्रमाणीकरण के लिए जैविक फसल उत्पादन की लिखित योजना तैयार करना आवश्यक है। इसकी जानकारी का प्रपत्र संख्या के फसल उत्पादन के बावत् आवेदन पत्र के साथ दिया गया है। इसमें मुख्यतः निम्नलिखित का समावेश होना चाहिएः–

- उत्पादन चक्र (सामान्यतया 1 वर्ष) में विभिन्न कृषि जलवायु मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों (मुख्य एवं अन्तवर्ती) की जानकारी।
- अपनाई जाने वाली कृषि क्रियाओं की जानकारी।
- उपयोग किये जाने वाले आदानों की सूची जिसमें उनके संगठन उपयोग की दर ,आवृत्ति एवं स्त्रोत की जानकारी हो।
- बीज एवं पौधा रोपण सामग्री का स्त्रोत।
- जैविक उत्पादन ईकाई में परंपरागत कृषि फार्म,समानान्तर उत्पादन आदि से आशंकित मिलावट/अपमिश्रण एवं संदुषण की रोकथाम हेतु किए जाने वाली प्रबंध क्रियाओं का विवरण।
- जैविक प्रक्षेत्र के रिकार्ड संचारण व्यवस्था का विवरण।

2-:ikrj.k vko';drk,a [Conversion Requirements]%&

- जैविक प्रबंधन तंत्र (Organic management system) को स्थापित होने एवं मृदा उर्वरता के सुधार होने में एक अंतरिम समयावधि की आवश्यकता होती है,जिसे रूपांतरण अवधि (Conversion Period) कहा जाता है।यह वह समयावधि होती है जिसमें जैविक प्रबंधन तंत्र एवं मानकों से संबंधित समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।
- मानकों के अनुपालन का क्रियान्वयन रूपांतरण अवधि के प्रारंभ से अन्त तक किया जाता है।
- प्रचालक/ऑपरेटर के प्रक्षेत्र के प्रथम निरीक्षण की तिथि से रूपांतरण अवधि प्रारंभ होती है।

UPSOCA

- पर्याप्त साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ऐसे प्रकरणों में,जिनमें जैविक मानकों की आवश्कताओं को विगत वर्षो से पूरा किया जाता रहा हो, पूर्ण रूपांतरण अवधि को कम किया जा सकेगा।

3-- : ikrj.k dh vof/k [Duration of Conversion Period] %&

- एक वर्षीय एवं द्वि–वर्षीय फसलों हेतु न्यूनतम 2 वर्ष।
- बहु वर्षीय फसलों (ग्रास लैंड को छोड़कर) रूपांतरण अवधि कम से कम तीन वर्ष (36 महीने) की मानी जायेगी।
- प्रमाणीकरण संस्था रूपांतरण अवधि में कमी या वृद्वि पूर्व के भूमि उपयोग एवं वातावरणीय दशाओं के अनुसार कर सकती है।
- संस्था द्वारा पर्याप्त प्रदर्शन , साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि पिछले तीन या अधिक वर्षों से पड़ती (Idle) पड़ी है एवं/अथवा उसमें जैविक मानकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती रही हो, में पूर्ण रूपांतरण अवधि में एक वर्ष(12 माह) की कमी की जा सकती है।
- रूपांतरण अवधि के दौरान उत्पाद को '' जैविक कृषि रूपांतरण के उत्पाद '' या इससे मिलते जुलते आशय की जानकारी दर्शा कर विक्रय किया जा सकता है।

4-ikdfrd n'; [Land Scape] %&

- जैविक प्रबंध इकोसिस्टम के विकास एवं जैव विविधता के संवर्धन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।इस बावत जैविक क्षेत्रों में जैव विविधता मुख्यतः प्राकृतिक रूप से पड़ी हुई अत्याधिक घास की भूमि, वानस्पतिक झाड़ियों से आच्छादित एवं वन भूमि,पुरानी पड़ती भूमि,प्राकृतिक नालों, झरना एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों /प्रजातियों के रखरखाव से की जा सकती है।

5-Qlyk rFkk fdLeksa dk p;u [Choice of Crops and Varieties] %&

- सर्वप्रथम जैविक प्रमाणित (Certified Organic) बीज एवं पौध सामग्री को प्राथमिकता देते हुए ऐसी प्रजातियों का चयन करना चाहिए जो भूमि एवं जलवायु के अनुकूल होने के साथ–साथ रोग एवं कीट प्रतिरोधी भी हों।
- प्रमाणित जैविक बीज एवं पौध सामग्री हों उपलबध न होने की दशा में रसायनिक रूप से अनुपचारित परंपरागत बीज एवं पौध सामग्री का उपयोग किया जा सकेगा ।

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

- आनुवांशिक अभियांत्रित बीज, ट्रांसजीनिक पौधे या पौध सामग्री (G.M.Seed & Plant Material) का उपयोग प्रतिबंधित है।

6-Qly mRiknu e fofo/krk ,o ic/ku e fofo/krk [Diversity in crop production and Management Plan] %&

- मृदा की संरचना,उर्वरता एवं ईकोसिस्टम (प्राकृतिक सिस्टम) को संचारित करते हुए जैविक खेती को इस प्रकार अपनाना चाहिए ताकि पोषक तत्वों की क्षति कम से कम हो। इस संदर्भ में मोटे तौर पर क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के आधार पर निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए :–

  - ❖ फसलों के चयन में विविधता इस प्रकार अपनाना चाहिए की कीट,खरपतवार एवं व्याधि का प्रकोप न्यूनतम होने के साथ–साथ मिट्टी की संरचना,उरर्वता तथा कार्बनिक पदार्थ में बढोत्तरी सुनिश्चित हो सके।

  - ❖ क्षेत्रीय आवश्कता एवं जलवायु को ध्यान में रखते हुए उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए।

  - ❖ मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति बावत् फसल चक्र में दलहनी(लेग्यूमिनस) फसलों (मूंग, उड़द एवं सोयाबीन आदि)एवं हरी खाद(सन एवं ढेंचा) को शामिल करना चाहिए।

7-ik"k.k ic/ku [Nutrient Management] %&

- जैविक फार्म में पौध अवशेष,जन्तु अवशेष एवं ऐसे अवशेष जो सड़ सकें (Bio-degradable material) पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ सके या घट ना पाये। इस तथ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है कि इस तरह के Bio-degradable material की कुल मात्रा इतनी अधिक भी न हो की क्षेत्रीय परिस्थितियों एवं फसलों की प्रकृति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़े।
- पोषण प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए जिससे पोषक तत्वों की क्षति न्यूनतम हो।(इस संदर्भ में किये जाने वाले उपायों के बारे में)ऊपर उल्लेखित बिन्दु क्रमांक–6 में दर्शाया गया है) जैविक क्षेत्र में भारी धातुओं (Heavy metals) एवं अन्य प्रदूषकों (Contaminants) के जमाव को रोकना चाहिए।
- मिट्टी का उपयुक्त pH स्तर का संचारण किया जाना चाहिए।खनिज उर्वरकों (Minaral fertilizers) का जैवांश खादों (Organic manures) के साथ पूरक रूप में प्रयोग ifjf'k"V&1 में दर्शाये अनुसार किया जा सकेगा। उर्वरता प्रबंधन में उक्त पूरक प्रयोग करने की अनुमति संस्था द्वारा मात्र इस शर्त पर दी जा सकती है जब सर्वमान्य रूप से उर्वरता प्रबंधन न किया जा सकता हो।

UPSOCA

- मानव मलमूत्र से तैयार खाद प्रतिबंधित है।
- खनिज उर्वरकों को उनके मूल रूप में ही उपयोग किया जा सकेगा।संश्लेषित नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग ,जिसमें यूरिया भी शामिल है, प्रतिबंधित है।खनिज पोटेशियम,मैग्नीशियम उवर्रक,सूक्ष्म तत्वों आदि का प्रयोग इनकी आवश्यकता सुनिश्चित होने पर र्निधारित सीमा में ही किया जा सकेगा।

8-dhVjkx rFkk [kjirokj ic/ku [Pest, Disease and Weed Management] %&

- कीट, रोग एवं खरपतवार का प्रकोप कम से कम सुनिश्चित करने बावत् क्षेत्र अनुसार निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए :–
  - ❖ कीट, व्याधि एवं खरपतवार प्रतिरोधक प्रजातियों का क्षेत्रीय जलवायु अनुसार चयन करना चाहिए।
  - ❖ समस्त कृषि कियाकलाप (विशेषतया कटाई पूर्व के कियाकलाप) जैसे–खेत की जुताई/तैयारी,बुवाई ,सिंचाई एवं पोषण आदि र्निधारित समय सीमा में सम्पन्न करना चाहिए।
  - ❖ पोषण प्रबंधन संतुलित होना चाहिए। उचित फसल चक्र अपनाते हुए अर्न्तवर्तीय फसल पद्वति एवं हरी खाद का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
  - ❖ फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं में संतुलित सिंचाई करना चाहिए।
- कीट, व्याधियों से बचाव हेतु उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या में वृद्वि के उपाय किये जाने चाहिए।इस बावत् प्राकृतिक झाड़ियों का एवं जीव–जंतुओं के ठहरने के स्थानों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
- कीट, व्याधि एवं खरपतवार नियंत्रण बावत् प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित करते हुए पौध, जन्तु एवं माइक्रोऑरगेनिज्मस् का प्रयोग ifjf'k"V&2 में दर्शाये अनुसार किया जाना चाहिए।इनसे निर्मित ऑन–फार्म (प्रक्षेत्र में तैयार किये गये)आदानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- प्रक्षेत्र से बाहर के आदानों के प्रयोग को प्राथमिकता नही दी जाना चाहिए , क्योकि इनका प्रयोग र्निधारित नियमानुसार मूल्यांकन के पश्चात संख्या की अनुमति उपरांत ही किया जा सकता है।
- समस्त उपकरणों को जैविक क्षेत्र में प्रयोग किये जाने से पूर्व उचित सफाई आवश्यक होगी ताकि संदूषण न हो सके।सिन्थेटिक खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी,वृद्वि नियंत्रक,संश्लेषित रंजक (Dye)एवं कीटनाशी का प्रयोग ifrcf/kr gA
- जी.एम.ओ. उत्पाद का प्रयोग ifrcf/kr gA

UPSOCA

9-lnw"k.k fu;=.k [Contamination Control] %&

- फार्म के अंदर व बाहर से संदूषण को न्यूनतम करने के लिए समस्त आवश्यक उपायों को अपनाया जाना चाहिए।
- परंपरागत /रासायनिक प्रक्षेत्रों की संदूषण की रोकथाम हेतु बफर जोन (अवरोधक क्षेत्र) का संचारण करना चाहिए। बफर जोन उपयुक्त हो ताकि समीपस्थ भूमि/खेतों से संदूषण न हो सके।
- संदूषण की आशंका पर प्रभावित उत्पादों की या/एवं स्त्रोत तथा मृदा,जल एवं पौध की नमूना जॉंच कराना होगी।

पॉलीक्लोराइड, पॉलीथीन का प्रयोग ifrcf/kr gA पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन या अन्य पॉलीकार्बोनेट आदि का प्लास्टिक मल्च,कीट जाल एवं साइलेज रैपिंग में उपयोग किया जा सकता है परन्तु किसी भी प्रकार की प्लास्टिक को खेत में उपयोग के बाद न खेत में छोड़ना और न जलाना चाहिए।

UPSOCA

10-enk ,o ty lj{k.k [Soil and Water Conservation] %&

- भूमि एवं जल संसाधनों का उपयोग टिकाउ रूप से करना चाहिए ताकि उनमें क्षरण न हो सके।इस बावत् खेतों में उचित स्थानों में मिट्टी के छोटे–छोटे बंधान ढाल की विपरीत दिशा में बनाने चाहिए एवं अतिरिक्त जल की उचित निकासी बावत् नालियों का निर्माण करना चाहिए।भू–क्षरण, मृदा लवणीयता,जल का अति उपयोग एवं भू एवं सतहीजल के प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय अपनाया जाना चाहिए।
- प्राथमिक वनों को नष्ट करना ifrcf/kr gA वनस्पति अवशेष/जैवांश को जलाकर भूमि साफ करना अति आवश्यक होने पर होने पर ही न्यूनतम मात्र में किया जाना चाहिए।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

11-ouLifr ely dh u ckbZ xbZ lkexh dk laxg.k [Collection of Non Cultivated material of Plant Origin/ Forest Produces :–

- मात्र वे ही जंगली पौधे या उनके कोई हिस्से, जो कि प्राकृतिक रूप से जंगल में है तब ही जैविक प्रमाणित किए जा सकेगे जब यह सुनिश्चित हो सकेगा की वे जिस जंगली क्षेत्र से एकत्रित किए जा रहे है उसमें किसी ifrcf/kr सामग्री का प्रयोग नही हुआ है।
- यदि जंगली क्षेत्र में खेती की जा रही है तो प्रचालक/ऑपरेटर को फसल उत्पादन बावत् र्निधारित राष्ट्रीय जैविक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- लघुवनोपज के संग्रहण के प्रकरण में राज्य शासन के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। संग्रहण जड़मूल को नष्ट करते हुए नही करना चाहिए ताकि स्थानीय पर्यावरण प्रणाली(Eco System) को हानि न हो।स्पष्ट रूप से र्निधारित वन क्षेत्र से ही उत्पादों का संग्रहण किया जाना चाहिए।वन्य फसल उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जा सकेगा जब उन्हे एक सुस्थिर तथा पोषणीय विकासमान वातावरण से प्राप्त किया गया हो। संग्रहण की गई मात्रा पर्यावरण प्रणाली की पोषणीय पैदावार से अधिक नही होना चाहिए, ताकि वनस्पति अथवा पशु प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न न हो।
- उत्पादों को केवल तभी जैविक प्रमाणित किया जायेगा यदि उन्हे स्पष्ट रूप से परिशाषित एक ऐसे संग्रहण क्षेत्र से प्राप्त किया गया है,जिसका वर्जित तत्वों के साथ कोई सम्पर्क नही हुआ है,तथा जो निरीक्षण के अर्न्तगत है।
- संग्रहण क्षेत्र को पारंपरिक कृषि क्षेत्र,प्रदूषण तथा संदूषण से समुचित दूरी पर स्थित होना चाहिए।
- जंगली उत्पाद की कटाई एवं संग्रहित करने वाले की स्पष्ट पहचान होना चाहिए एवं संग्रहण क्षेत्र की जानकारी भी होना चाहिए।

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

m0i0 jkT; tfod iek.khdj.k lLFkk]y[kuÅ

moj.k rFkk enk vuqdyu e iz;kxkFkZ mRikn

tfod df"k e enk moZjrk dk ,lh tfod lkexh d iuZ pdz.k d ek?;e l cuk, j[kuk lHko gk ldrk gAftud ik"kd rRok dk enk l{e thok rFkk cDVhfj;k dh dk;Zokgh d }kjk Qly ka d fy, miyC/k djk;k tkrk gA

bue l vf/kdrj dk vkndkuk d iz;kx d vUrxr tfod mRiknu e Lohdr (Allowed) / lhfer@ fuf"k} fd;k x;k gA fuEu rkfydk e n'kk;s funs'kkuqlkj budk iz;ksx lqfuf'pr djuk gkxk A

vknku	mi;kx grq funs'k
tfod i{k= bdkbZ d vUrxr mRikfnr inkFkZ	
प्रक्षेत्र तथा मुर्गी खाद,स्लरी,गौमूत्र	उपयोग किया जा सकता है।
फसल अवशेष तथा हरी खाद	उपयोग किया जा सकता है।
भूसा तथा अन्य घासपात	उपयोग किया जा सकता है।
1-tfod i{k= bdkbZ l ckgj mRikfnr inkFkZ	
परिरक्षकों से रहित रक्त आहार, मांस आहार,अस्थि आहार,पिच्छ (पंख) आहार	* आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
किसी भी कार्बन आधारित अवशिष्टों(मुर्गी सहित पशुओं का मल)से र्निमित कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
खाद,स्लरी,गौमूत्र(फैक्टरी कृषि स्त्रोतों को अनुमति प्रदान नहीं की गयी हैं।)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मछली तथा परिरक्षकों रहित मछली उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
ग्वानो (चिड़िया की बीट से तैयार खाद)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मानव मल	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
सूक्ष्म जीव, वनस्पति अथवा पशु मूल के जैविक रूप से नष्ट हो सकने वाली सामग्री के खाद्य तथा वस्त्र उद्योगों के कृत्रिम योज्यों से रहित उप उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कृत्रिम योज्यों से रहित पांस	उपयोग नहीं किया जा सकता है। (मृदा अनुकुलन हेतु निषिद्व)
बुरादा,लकड़ी की छीलन, लकड़ी (बशर्ते कि वह अशोषित लकड़ी से उत्पन्न हो।)	उपयोग किया जा सकता है।
समुद्री शैवाल तथा भौतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न समुद्री शैवाल उत्पाद,जल द्वारा अथवा जल या	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

क्षारीय अम्ल या क्षारीय घोल द्वारा निश्कर्शण	
मलजल गारा तथा पृथक स्त्रोतों से शहरी कम्पोस्ट जिनकी संदूषण हेतु निगरानी की गई हो।	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
भूसा	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वर्मीकम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पशु चारकोल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कम्पोस्ट तथा प्रयुक्त मशरूम तथा कृमिरूपी पदार्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जैविक घर संदर्भ से कम्पोस्ट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति अवशिष्ट से कम्पोस्ट	उपयोग किया जा सकता है।
ताड़ (पाम आयल), नारियल तथा कोको से उत्पन्न उपजात (खाली फल गुच्छों, ताड़ तेल मिल बाहिःस्त्राव (पोम),कोको पांस तथा खाली कोकोआ फली सहित)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जैविक कृषि अवयवों का प्रसंस्करण करने वाले उद्योगों के उपजात	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
2-[kfu t	
बेसिक धातुमल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूनेदार मथा मैग्नेशियम पत्थर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैल्सीभूत शैल प्रवाल	उपयोग किया जा सकता है।
कैल्शियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
प्राकृतिक मूल के कैलि ायम कार्बोनेट(चाक, चूना–पत्थर,जिप्सम और फॉस्फेट चाक),	उपयोग किया जा सकता है।
निम्न क्लोरीन धारित युक्त खनिज पोटेशियम (यथा सल्फेट आफ पोटाश,काइनाइट, सिल्वीनाइट,पाटेनकली)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक फॉस्फेट(यथा रॉक फॉस्फेट)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
चूर्ण शैल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम क्लोराइड	उपयोग किया जा सकता है।
सूक्ष्म मात्रिक तत्व (बोरोन, लोहा,मैंगनीज,मॉलीबडनम,जस्ता)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
अशोषित लकड़ी से काश्ठराख	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पोटेशियम सल्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मैग्नीशियम सल्फेट(इप्सॉन नमक)	उपयोग किया जा सकता है।
जिप्सम (कैलि ायम सल्फेट)	उपयोग किया जा सकता है।
धानी तथा धानी अर्क (साइलेज एवं साइलेज	उपयोग किया जा सकता है।(अमोनियम साइलेज

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005
Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027
Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

ऐक्सट्रेक्ट)	को छोड़कर)
एल्यूमिनियम कैल्शियम फॉस्फेट	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
पत्थर–चक्की(स्टोन मील)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मिट्टी (बेन्टोनाइट,परलाइट,जियोलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।
3-Lk{e tSfod fojpu	
जीवाणु विरचनें (जैव उर्वरक)	उपयोग किया जा सकता है।
बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
वनस्पति विरचनें तथा वनस्पति मूनक अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
कृमिरूप (वर्मीकुलेट)	उपयोग किया जा सकता है।
पांस	उपयोग किया जा सकता है।

☆ आपात स्थिति के उपयोग सूची के आदानों को प्रमाणीकरण संस्था की पूर्व अनुमति लेकर उपयोग किया जाये।

☆ ☆ फैक्ट्री कृषि से अभिप्राय औद्योगिक प्रबंध प्रणालियों से है जो कि ऐसे पशु चिकित्सा मथा आहार इनपुट्स पर बहुत अधिक निर्भर होती हैं जिनको जैविक कृषि में अनुमति प्रदान नहीं की गई हो।

UPSOCA

m0i0 jkT; tSfod izek.khdj.k laLFkk]y[kuÅ

ouLifr dhV rFkk jksx fu;a=d gsrq mRikn

tSfod df"k esa ouLifr mRiknu esa dhVksa rFkk jksxksa ds fu;a=.k gsrq dfri; mRiknksa dk iz;ksx djus dh vuqefr inku dh xbZ gS ,sls mRiknksa dk iz;ksx dsoy rHkh fd;k tkuk pkfg, tcfd ,slk djuk furkr vko';d gks rFkk i;kZoj.kh; iHkko dk /;ku esa j[krs gq, mudk p;u fd;k tkuk pkfg, A

buesa ls vusd mRiknksa dk tSfod mRiknu esa iz;ksx gsrq lhfer fd;k x;k gSA fuEu rkfydk esa n'kkZ;s funsZ'kuqlkj budk iz;ksx lqfuf'pr fd;k tkuk pkfg, A

vknku	mi;ksx gsrq funsZ'k
1-ouLifr rFkk lw'e ey ds inkFkZ	
नीम उत्पाद (Azardirachta Indica)	उपयोग किया जा सकता है।
नीम तेल	☆ आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
Derris elliptica,Lonchocarpus, Thephorsia app से रोटेनोन की र्निमित	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
जेलेटिन	उपयोग किया जा सकता है।
प्रेपोलिस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
वनस्पति आधारित विकर्शक (जैसे–लहसुन,पोंगेमिया	उपयोग किया जा सकता है।

आदि)	
पायरेथ्रिन्स,सिनेरेरीफोलियम से विकर्षित पायरेथ्रिन्स उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्यूसिया अमारा से तैयार उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कीटों के परजीवी–परभक्षियों का प्रयोग	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
रेनिया स्पी ीज का विकर्षक (Ryania species)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
तंबाकू चाय	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
लेसिथिन	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
कैसीन	उपयोग किया जा सकता है।
शैल प्रवाल, शैल प्रवाल भोजन ,शैल प्रवाल अर्क,समुद्री नमक तथा खारा पानी	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मश्रूम का अर्क (शिटाके फफूंद)	उपयोग किया जा सकता है।
क्लोरेला का अर्क	उपयोग किया जा सकता है।
एस्परजिलस का किन्वित उत्पाद	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
प्राकृतिक अम्ल (सिरका)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
2- [kfut	
चूना/सोडा के क्लोराइड	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
क्ले(यथा बेन्टोनाइट,परलाइट, वर्मिक्यूलाइट,जियोलाइट)	उपयोग किया जा सकता है।
फफूंद नाशक के रूप में प्रयुक्त किये जाने वाले कॉपर सॉल्टस/इनऑरगेनिक सॉल्टस (बोर्डो मिक्स, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मिनरल पाउडर्स (स्टोन मील)	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
डायटोमियस अर्थ	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
हल्के खनिज तेल	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
परमैंगनेट आफ पोटाश	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
लाइम सल्फर (कैल्शियम पॉली सल्फाइड)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सिलिकेट्स ,क्ले (बेन्टोनाइट)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सोडियम बाइ कार्बोनेट(बेन्टोनाइट)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
सल्फर (फफूंद नाशक, मकड़ी नाशक,विकर्षक के रूप में)	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
3- tfod ihMd fu;=.k gsrq Lk{e tho	
विषाणु विरचनें (उदाहरणार्थ– ग्रेन्यूलोसिस वाइरस,न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोसिस वाइरस आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
फंगस प्रीपरेशंस (उदाहरणार्थ– ट्रिकोडरमा प्रजातियां	उपयोग किया जा सकता है।

UPSOCA

आदि)	
बैक्टेरियल प्रीपरेशंस (उदाहरणार्थ– बेसिलस प्रजातियां आदि)	उपयोग किया जा सकता है।
परजीवी (पैरासाइट्स) परभक्षी(प्रीडेटर्स)और वन्ध्य कीट	उपयोग किया जा सकता है।
4-vU;	
कार्बन–डाइ–ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस	आपात स्थिति में ही उपयोग किया जाये।
मुलायम साबुन (पोटेशियम साबुन)	उपयोग किया जा सकता है।
इथाइल एल्कोहल	उपयोग नहीं किया जा सकता है।
होम्योपैथिक एवं आयुवेदिक विरचनें (पदार्थ)	उपयोग किया जा सकता है।
जड़ीबूटी युक्त तथा बायोडायनैमिक विरचनें	उपयोग किया जा सकता है।
5-Qan¼**Trap**½	
भौतिक विधियां(उदाहरणार्थ– क्रोमेटिक फंदे,मैकेनिकल फंदे प्रका ा फंदे,चिपकने वाले फंदे,फेरोमोन्स आदि)	उपयोग किया जा सकता है।

UPSOCA

☆ आपात स्थिति के उपयोग सूची के आदानों को प्रमाणीकरण संस्था की पूर्व अनुमति लेकर उपयोग किया जाये।

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA

उ0 प्र0 राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था

U. P. State Organic Certification Agency

Government Garden Campus, Cariyappa Marg, Alambagh, Lucknow ï 226005

Contacts ï 0522-2451256 Fax No.-0522-245163 / +91-7991202027

Email id: - upsoca.org@gmail.com / Website: - upsoca.org

UPSOCA